रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 1970/अग्रहायण 23, 1892

No. 448] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 1970/AGRAHAYANA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1970

S.O. 3941.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary or expedient so to do for the development of the Export trade of India that five additional items of inorganic chemicals as mentioned below should be subject to quality control and inspection prior to export and for that purpose to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce S.O. 1270 dated the 25th March, 1966, in the manner specified below:

And whereas the Central Government has forwarded the proposal in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within

sixty days of the date of publication of this notification in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezrza Street, (7th floor), Calcutta-1.

Proposal

The notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1270 dated the 25th March, 1966, shall be amended as follows, namely:—

In the Schedule to the said notification, after serial number 16 and the entry relating thereto, the following shall be added, namely:—

"17. Aluminium Chloride

18. Barium Chloride

19. Zinc Sulphite

20. Calcium Carbonate

21. Potassium Permanganate."

[No. 60(132)/Exp. Insp./65.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1970

का० आ० 3941.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि अकार्बनिक रसायन की पांच अतिरिक्त मदें जैसा कि नीचे वर्णित है, निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन होनी चाहिए और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 1270 तारीख 25 मार्च, 1966 को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उस निमित्त निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् की प्रस्थापना अग्रेषित किया है :

अतः, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्थापना को जनता की, जिसका उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रस्थापना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, उन्हें शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के साठ दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, "वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर", 14/1 बी, इजरा स्ट्रीट, (7वीं) मंजिल, कलकत्ता-1 को भेज सकता है।

स्थापना

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1270 तारीख 25 मार्च, 1966, निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाएगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"17 ऐलुमिनियम क्लोराइड
18. बेरियम क्लोराइड
19. जिंक सल्फाइड
20. कैल्शियम कार्बोनेट
21. पोटेशियम परमैंगनेट ।"

[सं० 60 (132)/नि० नि०/65]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1970